वित्त निर्देश 21/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 158/सी-10000021/वित्त/नियम/चार, रायपुर, दिनांक 26 मई, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-अखिल भारतीय सेवा, समूह बीमा योजना, के सदस्यों के छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985 में जमा धनराशि का भुगतान।

दिनांक 01.01.1982 से अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय सेवा, समूह बीमा योजना लागू होने के फलस्वरूप ऐसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जिन्होंने केन्द्रीय योजना हेतु विकल्प दिया है, उनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि तक परिवार कल्याण निधि, 1974 में जमा राशि की वापसी के संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-18 (सी) 28/नि-तीन/चार/1986 दिनांक 21.04.1986 एवं 13.11.1986 द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

राज्य शासन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी जो पूर्व में छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना के सदस्य थे तथा उनकी नियुक्ति अखिल भारतीय सेवा में होने पर अखिल भारतीय सेवा, समूह बीमा योजना हेतु विकल्प दिया है, के शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना के अंतर्गत जमा राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाये।

शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अधिकारियों की छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना में जमा धनराशि समूह बीमा योजना कोष में ही जमा रहेगी तथा इस कोष में जमा बचत निधि की राशि, अखिल भारतीय सेवा, समूह बीमा योजना के सदस्य बनने की तिथि से सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि तक वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक/227/एल-17/2/2003/ब-4/चार दिनांक 17 अप्रैल, 2006 द्वारा शासकीय कर्मचारी समूह

बीमा योजना 1985 हेतु निर्धारित दर से ब्याज (भविष्य के संशोधन के अधीन) के साथ वापस किया जाएगा। बीमा निधि में जमा धनराशि वापसी योग्य नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 158/सी-10000021/वित्त/नियम/चार, रायपुर, दिनांक 26 मई, 2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, रायपुर ।
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग